संख्या–  /XVIII(II)/2020–07(46)/2008

प्रेषक,

**सुशील कुमार,**
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**जिलाधिकारी,**
नैनीताल।

**राजस्व अनुभाग–2** देहरादूनः दिनांकः 02 नवम्बर **अक्टूबर, 2020**

**विषयः–जनपद नैनीताल के नगर पंचायत, लालकुंआ में अवैध कब्जे धारकों/पट्टेधारकों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासकीय अधिसूचना संख्या–132/XXXVI(3)/2016–27(1)/2016, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनिययम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) का प्रसार किया गया है, साथ ही ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा विहित प्रकिया के अनुरूप संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये गये हैं के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–425/XVIII(3)/2016–20(25)/2012 दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर पंचायत लालकुआ की 52.7183 है0 भूमि, जिस पर वर्ष 2008 तक अनानिधकृत रूप से कब्जेदार काबिज थे तथा सम्प्रति इस भूमि पर काबिज हैं, के अवैध कब्जों को विनियमितीकरण किये जाने हेतु सिद्धान्त एवं शर्ते निर्धारित की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल के नगर पंचायत, लालकुंआ में अवैध कब्जे धारकों/पट्टेधारकों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश संख्या–425/XVIII(3)/2016–20(25)/2012 दिनांक 22 जुलाई, 2016, शासनादेश संख्या–301/XVIII(II)/2018–07(46)/2008 दिनांक 19 फरवरी, 2018 तथा शासनादेश संख्या–293/XVIII(II)/2019–07(46)/2008 दिनांक 26 फरवरी, 2019 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय शासकीय अधिसूचना संख्या–132/XXXVI(3)/2016–27(1)/2016, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 से आच्छादित जनपद नैनीताल के नगर पंचायत, लालकुंआ में अवैध कब्जे धारकों/पट्टेधारकों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधनो/शर्तों के साथ जनपद के जिलाधिकारियों को अधिकृत करते हुए सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) यह शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

(2) नगर पंचायत लालकुँआ में निम्न दरों के आधार पर अवैध कब्जेधारकों/पट्टेधारकों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किया जायेगाः–

**(क)** 100 वर्ग मीटर तक की भूमि के विनियमितीकरण हेतु वर्ष 2004 के सर्किल रेट का 05

....2

प्रतिशत लिया जायेगा।

(ख) 101 से 200 वर्ग मीटर तक की भूमि के विनियमितीकरण हेतु वर्ष 2004 का सर्किल रेट लिया जायेगा।

(ग) 201 से 400 वर्ग मीटर तक की भूमि के विनियमितीकरण हेतु वर्ष 2004 के सर्किल रेट से 10 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

(घ) 401 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि का विनियमितीकरण हेतु वर्ष 2004 के सर्किल रेट से 25 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

(2) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–132 के अर्न्तगत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसेः–जलमग्न, चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट, चारागाह या ऐसी भूमि, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी–कभी खेती के प्रयोग में आती हो) का विनियमीतिकरण नहीं किया जायेगा। इन भूमियों के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, मा0 उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (पी0आई0एल0) 65/2011 कुंवर पाल सिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13–06–2018 एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–132 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (सार्वजनिक उपयोग जैसे चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट, चारागाह आदि) पर यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे पहले खाली कराया जायेगा और तब उस व्यक्ति की अवशेष कब्जे की भूमि का विनियमितीकरण किया जायेगा।

(4) किसी व्यक्ति की अवैध कब्जे की भूमि का विनियमितीकरण करने से पूर्व तहसीलदार को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि जिस व्यक्ति के अवैध कब्जे की भूमि विनियमित की जा रही है, उस व्यक्ति के पास धारा–132 के अधीन आने वाली भूमि अवैध कब्जे में नहीं है।

(5) अवैध कब्जे की उस भूमि का विनियमितीकरण, जिसका वाद मा0 न्यायालय में लम्बित है, इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि विनियमितीकरण मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

(6) अवैध कब्जे की भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम एवं वन संरक्षण से सम्बन्धित अन्य प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर पट्टेदार/अवैध कब्जाधारक के रूप में काबिज व्यक्ति को संक्रमणीय अधिकार दिये जाने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि में से जमा करायी गयी एकमुश्त धनराशि (यदि कोई हो) को घटाते हुए अवशेष धनराशि जमा की जायेगी।

(8) विनियमितीकरण हेतु पात्र अध्यासियों की पहचान उनका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित अभिलेख से ही किया जायेगा। राजस्व अभिलेखों में अंकित व्यक्ति के ऐसी भूमि पर कब्जे

....3

का सत्यापन तहसील स्तर पर किया जायेगा तथा सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(9) प्रश्नगत भूमि के ऐसे अध्यासी/पट्टेधारक, जिनकी मृत्यु हो गयी हो, उनके वारिसान के पक्ष में यह सन्तोष कर लेने के बाद विनियमितीकरण कर लिया जाये, कि जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम, 1950 में उपबन्धित व्यवस्था के अनुसार मृतक पट्टेधारक के उत्तराधिकारी प्रश्नगत भूमि पर काबिज **है।**

(10) प्रश्नगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में ऐसे खातों में जहां अनाधिकृत अध्यासी/पट्टेधारकों का नाम संयुक्त रूप से अंकित है और उनमें, भिन्न–भिन्न परिवारों के व्यक्ति भी शामिल हैं, ऐसे मामलों में यदि किसी डीड के आधार पर संयुक्त अध्यासी/पट्टेधारकों के हिस्से भिन्न–भिन्न हैं, तो उसी के अनुसार विनियमितीकरण किया जाये, अन्यथा उनके हिस्से बराबर मानकर कार्यवाही की जाय। यह ध्यान रखा जाये कि संयुक्त कब्जे की भूमि उपरोक्तानुसार पट्टे पर दिये जाने से किसी व्यक्ति के परिवार के पास विनियमितीकरण के उपरान्त सीलिंग सीमा से अधिक भूमि न होने पाये।

(11) प्रश्नगत भूमि पर अनाधिकृत काबिज/पट्टेधारक, जो 01 वर्ष की अवधि में उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर विनियमितीकरण नहीं करायेंगे, के विरूद्ध राज्य सरकार में भूमि निहित किये जाने हेतु वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(12) जिन मामलों में विधिक कठिनाईयां होंगी या अन्य दावेदारों द्वारा भी विनियमितीकरण का अनुरोध इस आधार पर किया जायेगा कि वे उपरोक्त श्रेणियों में है/इन श्रेणियों के समकक्ष है, ऐसे सभी प्रकरण परीक्षण के लिये शासन को प्रस्तुत किये जायेगें।

(13) भारत सरकार के प्रतिष्ठानों को शासनादेश दिनांक 09.05.1984 एवं संशोधित शासनादेश दिनांक 28.07.2020 की शर्तों के अधीन भूमि सःशुल्क दी जायेगी, तथा राज्य सरकार के सेवा विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी।

(14) राज्य सरकार के अधीन निगम, अभिकरण एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को शासनादेश दिनांक 09.05.1984 एवं संशोधित शासनादेश दिनांक 28.07.2020 की शर्तों के अधीन भूमि सःशुल्क दी जायेगी।

(15) भूमि का विनियमितीकरण व्यापक प्रचार–प्रसार शिविर लगाकर किया जायेगा, साथ ही विनियमितीकरण 01 वर्ष की अवधि के भीतर कर लिया जायेगा।

(16) सभी मामलों में विनियमितीकरण की प्रकिया समयबद्ध आधार पर पूर्ण करने तथा उपरोक्त पात्रता का अनुपालन करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तरदायी होंगे तथा उनके द्वारा मासिक आधार पर इस प्रकिया का अनुश्रवण भी किया जायेगा, जिसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र पर राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी शासन स्तर पर भी मासिक समीक्षा की जायेगी।

(17) अवैध कब्जों को विनियमितीकरण हेतु प्राप्त भू–राजस्व शुल्क/नजराने की धनराशि को राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत लेखा–शीर्षक–0029–भू–राजस्व–00–101 भू–राजस्व/कर–02 सरकारी आस्थानों से उगाहियॉ–किसानों से लगान–09 प्रकीर्ण के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जायेगा।

....4

3— अतः प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या—960/XVIII(II)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2— प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3— प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4— प्रमुख निजी सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
7— आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण का व्यापक प्रचार—प्रसार सुनिश्चित किया जाय।
9— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।